

**FORM No. 2**  
**(Form of Bidding Paper)**

Re: Auction sale of the property bearing .....

Ward No.....

Street No.....

Situate at .....

I, whose name is hereunder subscribed, bid at the sale by auction on the ..... day of ..... (month), two thousand and ..... the sum set opposite to my name for, and became the purchaser of the above property specified in the notification of such sale, subject to the conditions produced at such sale:

Amount of highest bidding	Amount of deposit received	Amount of remaining due	Signature of the purchaser	Purchaser's address and description
1	2	3	4	5

[F. No. 14(5)/2015-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली 30 दिसम्बर, 2016

**का.नि.आ. 15(अ).**—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की अपेक्षानुसार छावनियों में संपत्ति के अन्तरण (सूचना प्रारूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 2016 संबंधी कुछ नियमों का प्रारूप उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-4 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की तारीख 04 जुलाई, 2016 की अधिसूचना में का.नि.आ. 07 (अ) तारीख 05 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

और, प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, छावनी अधिनियम, 2016 (2016 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार छावनियों में संपत्ति का अन्तरण (सूचना प्रारूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 2016 संबंधी निम्नलिखित नियम बनाती है :

**प्रारूप नियम**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनियों में संपत्ति के अंतरण (सूचना प्रारूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएँ:** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) 'अधिनियम'से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
- (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

3. **हक के अंतरण की सूचना:** (1) अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित हक के अंतरण से संबंधित सूचना, यथास्थिति, या तो प्ररूप 'क' में होगी या प्ररूप 'ख' में और धारा 81 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली ऐसी अपेक्षित सूचना प्ररूप 'ग' में होगी तथा सूचना में उक्त प्ररूप की अपेक्षानुसार सभी विशिष्टियाँ स्पष्ट और सही रूप में दी जाएंगी।

(2) ऐसी किसी सूचना की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, अंतरण की कोई लिखत, यदि कोई हों, अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 57 के अधीन अभिप्राप्त उसकी प्रतिलिपि अथवा किसी मृत व्यक्ति के हक के अंतरण की दशा में ऐसे अंतरण के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

4. **कर संदाय:** जब तक सूचना की तारीख को देय सारे संपत्ति कर का पूरी तरह संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन दी गई सूचना को विधिमान्य नहीं माना जाएगा।

5. **व्यावृत्ति:** छावनी परिषद द्वारा अनुरक्षित निर्धारण सूची में किया गया अंतरण इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन उपलब्ध अधिकारों से अधिक प्रदत्त नहीं करेगा।

6. **सूचना तामील करने की रीति:** (1) इन नियमों के अधीन दी जाने वाली प्रत्येक सूचना इस प्रकार दी जाएगी या पेश की जाएगी:-

- (क) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी को सूचना देकर या पेश करके;
- (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संबोधित देय पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा।
- (2) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विहित किए गए ऐसे प्ररूप में देय पावती सहित दी जाएगी अथवा पेश की जाएगी।

[फा. सं. 14(2)2016/डी (क्यू एंड सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

प्ररूप – क

(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण लिखत द्वारा किया गया हो तब दी जाने वाली अंतरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
छावनी परिषद,  
..... छावनी

महोदय,

मैं,....., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण,  
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूँ / देती हूँ:-

## संपत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	लिखत की तारीख	छावनी परिषद के अभिलेखों में विक्रेता या समनुदेशक का नाम	क्रेता या समनुदेशिती का नाम	प्रतिफल की रकम	इसके अंतर्गत क्या है	अवस्थान	निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	यदि लिखत को रजिस्टर किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) .....

## प्ररूप - ख

(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण लिखत से अन्यथा किया गया हो तब दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

छावनी परिषद,

..... छावनी

महोदय,

मैं,....., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूं / देती हूं:-

## संपत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	वह नाम, जिस नाम से इस समय संपत्ति छावनी परिषद के अभिलेखों में दर्ज है	इसे किसके नाम अंतरित किया जाना है और वह तारीख जिसको अंतरण प्रभावी हुआ	इसके अंतर्गत क्या क्या है	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) .....

**प्ररूप – ग**  
(नियम 3 देखिए)

(जब अंतरण विधि के अनुसार हुआ हो तब दी जाने वाली अंतरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
छावनी परिषद,  
..... छावनी

महोदय,

मैं,....., संपत्ति के निम्नलिखित अंतरण,  
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 की उपधारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित, की सूचना देता हूं / देती हूं:-

**संपत्ति का विवरण**

सूचना की तारीख	वह नाम जिस नाम में इस समय संपत्ति छावनी परिषद के अभिलेखों में दर्ज है और उसकी मृत्यु की तारीख	इसे किसके नाम अंतरित किया जाना है और मृतक से उसका संबंध	इसके अंतर्गत क्या क्या है	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि का आकार	सीमाएं	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पिछले बिल के भुगतान की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर (क.ख.) .....

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2016

**S.R.O. 15(E).**—Whereas a draft of certain rules relating to transfer of property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice), Rules, 2016 was published as required under section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence vide S.R.O 9(E) dated 4<sup>th</sup> August, 2016 in the Gazette of India, Part-II Section 4, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification.

And whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) the Central Government makes the following rules relating to transfer of property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice):

**1. Short title and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,
- (a) ‘Act’ means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
- (b) ‘Form’ means a Form annexed to these rules.
3. **Notice of transfer of title .**—(1) The notice regarding transfer of title required to be given under sub-section (1) of section 81 of the Act shall be either in the Form ‘A’ or Form ‘B’, as the case may be, and such notice required to be given under sub-section (2) of the section 81 shall be in Form ‘C’ and the notice shall state clearly and correctly all the particulars required by the said Form.
- (2) On receipt of any such notice, the Chief Executive Officer may, if he thinks it necessary, require the production of an instrument of transfer, if any, or of a copy thereof obtained under section 57 of the Indian Registration Act, 1908, - of 1908 or, in case of transfer of the title of a deceased person any document constituting evidence of such transfer.
4. **Payment of tax.**—Unless all property taxes due at the date of the notice have been fully paid, no notice shall be deemed to be valid given under section 81 of the Act.
5. **Saving.** -The transfer effected in assessment list maintained by the Cantonment Board shall not confer more rights than those available under section 81 of the Act.
6. **Manner of service of the notice.**—(1) Every notice under these rules shall be given or presented,
- (a) by giving or tendering the notice to the Chief Executive Officer or his authorised servant of the Board;
- (b) by registered post with acknowledgement due addressed to the Chief Executive Officer.
- (2) A notice to the Chief Executive Officer or his authorised servant of the Board shall be given, or tendered with due acknowledgement in such form as may be specified by the Chief Executive Officer.

[F. No. 14(2)2016/D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

**Form-A**

**(See Rule 3)**

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has been effected by instrument)

To,

The Chief Executive Officer,  
Cantonment Board,  
..... Cantonment

Sir,

I,....., hereby give notice, as required by sub-section (1) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

**Description of the Property**

Date of notice	Date of instrument	Name of vendor or assigner in Cantonment Board Records	Name of purchaser or assignee	Amount of consideration	Of what it consist	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	If instrument has been registered, date of registration	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Date of payment of the last bill:

Period of the last bill:

Signed (A.B.) .....

**Form-B**  
**(See Rule 3)**

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place other than by instrument)

To,

The Chief Executive Officer,  
Cantonment Board,  
..... Cantonment

Sir,

I,....., hereby give notice, as required by sub-section(1) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

**Description of the Property**

Date of notice	Name in which the property is at present entered in the Cantonment Board Records	To whose name it is to be transferred and the date on which transfer is effected	Of what it consist	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of payment of the last bill:

Period of the last bill:

Signed (A.B.) .....

**Form-C**  
**(See Rule 3)**

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place by devolution)

To,

The Chief Executive Officer,  
Cantonment Board,  
..... Cantonment

Sir,

I,....., hereby give notice, as required by sub-section(2) of section 81 of the Cantonments Act, 2006, of the following transfer of property:-

**Description of the Property**

Date of notice	Name in which the property is at present entered in the Cantonment Board Records and his/her date of death	To whose name it is to be transferred and his/her relation with the deceased	Of what it consists	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of payment of the last bill:

Period of the last bill:

Signed (A.B.) .....